(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1592–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 11/अपील/स्टाम्प/2013–14.

.....

1–मोहम्मद सलीम पिता शेख हाशम
2–मोहम्मद असलम पिता शेख हाशम
निवासीगण 23, जवाहर मार्ग इंदौर

..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा :– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स इंदौर

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अपीलार्थीगण

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–प्रत्यर्थी

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/11/17 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थीगण द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47–क(5) के अंतर्गत आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर उक्त दस्तावेज को उपपंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अवरूद्ध कर मुद्रांक शुल्क निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 401/2004–05/33 दर्ज कर दिनांक 14–5–2007 को आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 48,39,500/– अवधारित

किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति रुपये 1,98,580/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–4–2014 को आदेश पारित कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश यथावत् रखते हुये प्रथम अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हे ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पंच फैसले के तथ्यों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष पंच फैसले के साथ नक्शा संलग्न किया गया है जिसमें केवल 110 वर्गफुट भूमि मोहम्मद ईस्माईल से लेकर अपीलार्थीगण को दी गई है और शेष मकान यथावत् रहा है । इस प्रकार केवल 110 वर्गफुट भूमि का अन्तरण हुआ है जिस पर मुद्रांक शुल्क देय है, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दो मकान का विवाद मानते हुये मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(2) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थीगण को बटवारा में मकान प्राप्त होना मानते हुये बाजार मूल्य निर्धारित करने में विधि विरूद्ध एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष के मध्य मकान का बटवारा हुआ है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बाजार मूलय निर्धारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिसमें हस्तक्षेप का आधार द्वितीय अपील में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पंच फैसला जो कि बटवारानामा है, को पंजीकृत कराने के निर्देश दिये गये हैं जिसके आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति के छोटे–छोटे हिस्सों का मूल्यांकन कर उनके आधार पर बाजार मूल्य की गणना की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तर्क के दौरान उपरोक्त तथ्यों को अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा नकारा नहीं गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर